कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग

राष्ट्रीय राजमार्ग, संभाग बिलासपुर (छ.ग.)

ज्ञाप क्र. 3579 / तक / 26–27 / बिलासपुर, दिनांक 19/08/2026

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

विषय :– केंवची से रतनपुर रा.रा. क्रं.–45 मार्ग में भारी वाहनों (Multi Axle Vehicles) को प्रतिबंधित करने बाबत्।

संदर्भ :– M/s Shanti Enggicon Private Limited Korba (C.G.) का पत्र क्रं. MoRTH/ SEPL/2026-27/Ratanpur-Site/321/Dated 10.08.2026. (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

===00===

कृपया संदर्भित संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। केंवची से रतनपुर रा.रा. क्रं.–45 के कि.मी. 278.750 से 321.348 = 42.598 कि.मी. में उन्नयन के साथ मय पेव्हड शोल्डर का कार्य (पैकेज–2) में ई.पी.सी. अनुबंध के तहत सड़क एवं पुल पुलियों का निर्माण कार्य भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा स्वीकृत कार्य प्रगतिरत है। विगत दिनों में हुई अतिवृष्टि एवं अत्यधिक संख्या में ओव्हर लोडेड भारी वाहनों (Multi Axle Coal Carting Vehicles) का आवागमन निरंतर होने के कारण प्रगतिरत सड़क एवं पुल पुलिया के कुछ स्थानों पर मार्ग की स्थिति अत्यंत ही क्षतिग्रस्त होने से वर्तमान में वाहनों का लंबी कतार से जाम होने की स्थिति निर्मित हो गयी है। जिससे आम नागरिकों को यातायात के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस संबंध में आपसे सादर निवेदन है कि केंवची से रतनपुर रा.रा. क्रं.–45 मार्ग में भारी वाहनों ओव्हर लोडेड भारी वाहनों (Multi Axle Coal Carting Vehicles) को दिनांक 20.08.2026 से 30.09.2026 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कराने का कष्ट करेंगे। ताकि इस दौरान मार्ग के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत/संधारण का कार्य किया जा सके। मार्ग का संधारण एवं मरम्मत कार्य के दौरान छोटी वाहनों (Light Vehicles) तथा बस इत्यादि का यातायात सुचारू रूप से संचालित रहेगा।

सादर सूचनार्थ।

सहपत्र :– पत्र की छायाप्रति

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. 3580 / तक / 26–27 / बिलासपुर, दिनांक 19/08/2026

प्रतिलिपि :–

01. मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षत्र, पेंशन बाड़ा, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. क्षेत्रीय अधिकारी, एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. रा.रा. परिसर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
04. कलेक्टर महोदय, जिला बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
05. परिवहन अधिकारी, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
06. अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग उपसंभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ। आपको निर्देशित किया जाता है कि मार्ग के क्षतिग्रस्त भागों का तत्काल मरम्मत कार्य पूर्ण कराकर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।
07. Consultant L.N. Malyiya Infra Projects Pvt. Ltd. Bhopal, Corporate Office T-10, IIIrd Floor, City Centre, Press Complex Plot No. 1, M.P. Nagar, Zone-I Bhopal (M.P.) Email: lnmalviya@rediffmail.com की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. मेसर्स शांति इंजीकॉन प्रा.लि. कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ। आपको निर्देशित किया जाता है कि मार्ग के क्षतिग्रस्त भागों का तत्काल मरम्मत कार्य को युद्धस्तर पर पूर्ण करने हेतु आदेशित।

सहपत्र :– शून्य

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
बिलासपुर (छ.ग.)